HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16781/2021

1. Sameer Ahmed Son Of Mohammad Asgar Chouhan, Aged About 21 Years, Resident Of Ward Number 39, Mohalla Khandelchiyan, Sikar Tehsil And District Sikar (Rajasthan) (At Present Accused Confined In District Jail Sikar)

2. Mohammed Asgar Chouhan Son Of Husain Khan, Aged About 51 Years, Resident Of Ward Number 39, Mohalla Khandelchiyan, Sikar Tehsil And District Sikar (Rajasthan) (At Present Accused Confined In District Jail Sikar)

3. Mohammed Iliyas Chohan Son Of Mohammed Aslam, Aged About 31 Years, Resident Of Ward Number 39, Mohalla Khandelchiyan, Sikar Tehsil And District Sikar (Rajasthan) (At Present Accused Confined In District Jail Sikar)

4. Saddam Hussain Chouhan Son Of Mohammed Aslam, Aged About 33 Years, Resident Of Ward Number 39, Mohalla Khandelchiyan, Sikar Tehsil And District Sikar (Rajasthan) (At Present Accused Confined In District Jail Sikar)

5. Ajaj Ahmed Son Of Mohammed Asgar Chouhan, Aged About 20 Years, Resident Of Ward Number 39, Mohalla Khandelchiyan, Sikar Tehsil And District Sikar (Rajasthan) (At Present Accused Confined In District Jail Sikar)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr.Amit Singh Shekhawat
For Respondent(s)	:	Mr. Ramesh Choudhary,PP Mr. Shiv Kumar.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29/10/2021

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना. कोतवाली, सीकर **जिला सीकर** में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– **418/2021** अपराध अंतर्गत धारा **336,147,341,323,325,427,382,354, 452** भारतीय दंड संहिता एवं धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के सम्बन्ध संहिता के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के तर्क सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उन्हे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. समीर अहमद 2. मोहम्मद असगर चौहान 3. मोहम्मद इलियास चौहान 4. सद्दाम हुसैन चौहान 5. एजाज अहमद की ओर से

प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण पुलिस थाना –कोतवाली सीकर जिला सीकर में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– **418/2021** के मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Anil Kumar Sharma/29

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते